<u>न्यायालय : गोपेश गर्ग, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,</u> <u>गोहद जिला भिण्ड, मध्यप्रदेश</u>

प्रकरण कमांक : 909 / 10 इ0फौ०

संस्थापन दिनांक : 31.12.2010

म.प्र.राज्य द्वारा पुलिस थाना एण्डोरी जिला भिण्ड म.प्र. — अभियोजन

बनाम

1—लोकेन्द्रसिंह पुत्र छत्तरसिंह सिकरवार, उम्र 40 साल, निवासी बागचीनी हाल गोपालपुरा वनखण्डी रोड मुरैना

– अभियुक्त

<u>निर्णय</u>

(आज दिनांक.....को घोषित)

- उपरोक्त अभियुक्त के विरुद्ध धारा 279, 337(छः बार) एवं 338 भा.द.स. एवं धारा 134 / 187 एवं 185 मोटरयान अधिनियम के अंतर्गत दण्डनीय अपराध का आरोप है कि उसने दिनांक 07.08.10 को 7:30 बजे या उसके लगभग रमगढा भुमियां के पास मौजा चंदोखर अंतर्गत थाना एण्डोरी लोकमार्ग पर वाहन बस कमांक एम0पी0—07—पी0—1161 को उताबलेपन या उपेक्षापूर्वक चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित किया तथा वाहन को खंती में पलट देने से उसमें बैठी सवारियां हाकिम (मृत), श्रीकृष्ण अ0सा01, कीरती अ0सा06, मीनाबाई अ0सा05, अनिल, अंकुश को उपहित कारित हुई तथा सियाराम अ0सा03 को घोर उपहित कारित हुई तथा यह जानते हुए कि दुर्घटना में सियाराम, हाकिम, श्रीकृष्ण, कीरती, मीनाबाई, अनिल, अंकुश, को चोटें आईं हैं, अपने दायित्वों के विपरीत वाहन को भगाकर ले गये तथा मतता की हालत में मोटरयान को संचालित किया।
- अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 07.08.10 को 7:30 बजे या उसके लगभग फरियादी सियाराम कुशवाह अ0सा03 गोहद चौराहे से बस कमांक एम0पी0-07-पी.1161 में बैठकर जा रहा था तब बस का चालक आरोपी लोकेन्द्र शराब पिए हुए था और बस चला रहा था। जैसे बस ग्राम चंदोखर से आगे ग्राम तुर्केंडा बाबा के स्थान के सामने पहुंची तब आरोपी ने बस को तेजी

व लापरवाही से चलाकर खंती में पलटा दिया। बस में बैठी सवारियों ने आरोपी से बस धीरे चलाने के लिए कहा था दुर्घटना में बैठी सवारियां हाकिम (मृत), श्रीकृष्ण अ०सा०1, कीरती अ०सा०6, मीनाबाई अ०सा०5, अनिल, अंकुश को उपहित कारित हुई तथा सियाराम अ०सा०3 को घोर उपहित कारित हुई तत्पश्चात सियाराम अ०सा०3 ने देहाती नालिसी प्र०पी—1 दर्ज कराई जिस पर से आरोपी के विरुद्ध अप०क० 74/10 थाना एण्डोरी में पंजीबद्ध कर मामला विवेचना में लिया गया और संपूर्ण विवेचना उपरांत आरोपी के विरुद्ध प्रथम दृष्टया मामला बनना प्रतीत होने से अभियोग पत्र विचारण हेतु न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

आरोपी ने अपराध की विशिष्टियां अस्वीकार कर विचारण का दावा किया है। आरोपी की प्रतिरक्षा है कि उसे प्रकरण में झूठा फंसाया गया है बचाव में किसी साक्षी को परीक्षित नहीं कराया है।

प्रकरण के निराकरण हेत् विचारणीय प्रश्न है कि :-

- 1. क्या आरोपी ने दिनांक 07.08.10 को 7:30 बजे या उसके लगभग रमगढा भुमियां के पास मौजा चंदोखर अंतर्गत थाना एण्डोरी लोकमार्ग पर वाहन बस कमांक एम0पी0—07—पी0—1161 को उतावलेपन या उपेक्षापूर्वक चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित किया ?
- 2. क्या आरोपी के घटना दिनांक समय व स्थान पर वाहन को उतावलेपन या उपेक्षापूर्वक चलाकर खंती में पलट देने से उसमें बैठी सवारियां हाकिम, श्रीकृष्ण अ0सा01, कीरती अ0सा06, मीनाबाई अ0सा05 अनिल, अंकुश को उपहति कारित हुई ?
- 3. क्या आरोपी के घटना दिनांक समय व स्थान पर वाहन को उतावलेपन या उपेक्षापूर्वक चलाकर खंती में पलट देने से उसमें बैठे सियाराम को घोर उपहति कारित हुई ?
- 4. क्या घटना दिनांक समय व स्थान पर यह जानते हुए कि दुर्घटना में सियाराम, हाकिम, श्रीकृष्ण अ०सा०१, कीरती अ०सा०६, मीनाबाई अ०सा०६, अनिल, अंकुश, को चोटें आईं हैं, अपने दायित्वों के विपरीत आरोपी ने उचित चिकित्सा व्यवस्था उपलब्ध कराये जाने का लोप किया ?
- 5. क्या घटना दिनांक समय व स्थान पर आरोपी ने मतता की हालत में मोटरयान को संचालित किया ?

//विचारणीय प्रश्न क्रमांक ०१ लगायत ०५ का सकारण निष्कर्ष//

5. सियाराम अ०सा०३ ने कथन किया है कि दिनांक 21.11.14 से तीन वर्ष पूर्व वह ग्वालियर से ग्राम लुहारीका पुरा जा रहा था वह जिस बस से जा रहा था वह बस चंदोखर गांव के आगे मोड़ पर पलट गयी थी। जिससे उसके हाथ में व अन्य सवारियों को चोटें आई थीं। उसने घटना के संबंध में गोहद अस्पताल में देहाती नालिसी प्र0पी—3 लिखाई थी और उसका उपचार कराया गया था उसे बस का नंबर नहीं पता और बस के चालक का नाम भी नहीं पता वह बस चालक को सामने आने पर भी नहीं पहचान सकता। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षविरोधी ह गोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर इस साक्षी ने इंकार किया है कि उसने रिपोर्ट लिखाते समय बस कमांक एम०पी०—07—पी०—1161 लिखाया था। इस सुझाव से भी इंकार किया है कि उसने यह बताया था कि बस चालक शराब पीकर बस को

तेजी व लापरवाही से चला रहा था। वह सवारियों को नहीं जानता और इस आशय के तथ्य उल्लिखित होने पर भी ध्यान आकर्षित कराये जाने पर कथन अंतर्गत धारा 161 दप्रस प्र0पी—4 में भी दिए जाने से इंकार किया है। इस साक्षी ने स्वीकार किया है कि प्रेमसिंह अ०सा02 व जगदीश अ०सा04 उसके साथ थे।

श्रीकृष्ण अ०सा०१ ने कथन किया है कि चार वर्ष पूर्व वह ऐन्हों के लिए बस में बैठकर जा रहा था। उसके साथ गांव के भी लोग बैठे थे तब ग्राम चंदोखर व ऐन्हों के बीच बस पलट गयी थी बस बहुत तेजी से चल रही थी जिसका चालक शराब पिए हुए था तब अन्य लोगों ने बस धीरे चलाने के लिए बोला था। उसे बस का नंबर याद नहीं है ना ही वह बस के डाइवर को जानता है। दुर्घटना में उसे कमर, छाती व शरीर में अन्य जगह चोटें आईं थीं। इस साक्षी ने अभियोजन के सुझाव को स्वीकार किया है कि उसने बस क्रमांक एम0पी0—07—पी0—1161 बताया था और पुलिस कथन प्र0पी—1 में भी बस का चालक लोकेन्द्रसिंह होना लिखाया था। इस साक्षी ने स्वीकार किया है कि प्रेमसिंह अ०सा०२ व जगदीश अ०सा०४ आ गये थे। प्रतिपरीक्षण में इस साक्षी ने कथन किया है कि उसने बस की सवारियों से सुना था कि बस को लोकेन्द्र चला रहा था उसे लोगों ने बताया था कि बस के डाइवर का नाम लोकेन्द्र है पर वह लोकेन्द्र को व्यक्तिगत रूप से नहीं जानता है और पैरा 5 में स्वीकार किया है कि उसे गाडी का नंबर ध्यान नहीं है और अभियोजन के सुझाव के अनुसार ही उसने बस का नंबर बताया है। साक्ष्य के दौरान भी इस साक्षी ने बस चालक को पहचानने की सक्षमता न होना बताया है।

7. प्रेमसिंह अ०सा०२ ने घटना की जानकारी होने से इंकार किया है। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षिविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर इस साक्षी ने इंकार किया है कि बस क्रमांक एम०पी०-07-पी०-1161 से वह घर जा रहा था तब आरोपी लोकेन्द्र ने शराब पीकर बस तेजी व लापरवाही से चलाई और पलटा दिया और इस आशय के तथ्य उल्लिखित होने पर भी ध्यान आकर्षित कराये जाने पर कथन अंतर्गत धारा 161 दप्रस प्र0पी-2 में भी दिए जाने से इंकार किया है।

8. जगदीश अ०सा०४ ने कथन किया है कि वह आरोपी लोकेन्द्र को नहीं जानता है। चार वर्ष पूर्व वह बस में ग्राम लोरी का पुरा जा रहा था तब ग्राम चंदोखर के आगे रामकरन बाबा के स्थान पर बस नाले में गिर पड़ी जिससे बस में बैठी सवारियों को चोटें आईं थीं बस कैसे पलटी उसे नहीं मालूम। बस का नंबर क्या था उसे नहीं मालूम। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर इस साक्षी ने इंकार किया है कि बस क्रमांक एम०पी०-07-पी0-1161 को आरोपी लोकेन्द्र ने शराब पीकर तेजी व लापरवाही से चलाया और बस को पलटा दिया और इस आशय के तथ्य उल्लिखित होने पर भी ध्यान आकर्षित कराये जाने पर कथन अंतर्गत धारा 161 दप्रस प्र0पी-5 में भी दिए जाने से इंकार किया है।

मीनाबाई अ0सा05 ने कथन किया है कि 3—4 वर्ष पूर्व वह बस में बैठकर ऐन्हों जा रही थी तब चालक बस को लहराता चला रहा था। बस की सवारियां मना कर रही थी तब बस ऐन्हों और चंदोखर के बीच पलट गयी थी उसे कान, कंधे व सिर में चोट आई थी और उसकी बहू कीरती अ0सा06 को सिर में चोट आई थी। बस को लोकेन्द्र चला रहा था। परन्तु वह लोकेन्द्र को नहीं पहचान सकती। उसे बस का नंबर भी याद नहीं है। प्रतिपरीक्षण में इस साक्षी ने स्वीकार किया है कि वह लोकेन्द्र को नहीं पहचानती है। उसे घरवालों ने बताया था कि चालक का नाम लोकेन्द्र है और स्वतः कथन किया है कि उसका पित बिठाने गया था जिसने बताया था कि लोकेन्द्र गाड़ी चला रहा है।

- 10. कीरती अ0सा06 ने भी कथन किया है कि पांच वर्ष पूर्व वह बस में बैठकर ऐन्हों जा रही थी तब बस चालक बस को शराब पीकर लहराकर चला रहा था गाड़ी की स्पीड तेज थी गाड़ी में बैठी सवारियां चिल्ला रही थीं। बस ऐन्हों और चंदोखर के बीच पलट गयी थी। उसके सिर में चोट आई थी और उसकी सास मीना अ0सा05 को कान, कंधे व सिर में चोट आई थी। उसके बच्चे अंकुश और अनिल को भी चोटें आई थीं। आरोपी लोकेन्द्र बस चला रहा था। लेकिन वह लोकेन्द्र को नहीं पहचान सकती है उसे गाड़ी का नंबर भी याद नहीं है। प्रतिपरीक्षण में इस साक्षी ने कथन किया है कि उसके घरवालों ने बताया था कि चालक का नाम लोकेन्द्र है।
 - अतः श्रीकृष्ण अ०सा०१, मीनाबाई अ०सा०५ व कीरती अ०सा०६ ने घटना आरोपी लोकेन्द्र द्वारा कारित किया जाना बताया है परन्तु तीनों ही साक्षीगण ने साक्ष्य के दौरान आरोपी लोकेन्द्र को पहचानने में असक्षमता व्यक्त की है। मीना अ०सा०५ व कीरती अ०सा०६ ने आरोपी का नाम अपने घरवालों द्वारा बताये नाम के आधार पर बताना व्यक्त किया है। श्रीकृष्ण अ०सा०१ ने सवारियों के बताने के आधार पर लोकेन्द्र का नाम बताया है। परन्तु उक्त तीनों साक्षीगण ने किस व्यक्ति द्वारा लोकेन्द्र का नाम बताया है यह स्पष्ट नहीं किया है और ना ही यह स्पष्ट किया है कि बताने वाले व्यक्ति ने घटना के समय आरोपी लोकेन्द्र को बस चलाते हुए देखा था। अतः उक्त दोनों साक्षीगण ने प्रत्यक्ष साक्षी होते हुए भी अनुश्रुत साक्ष्य पेश की है जो भी अतिनिर्बल है। फरियादी सियाराम अ0सा03 व प्रेमसिंह अ०सा०२ व जगदीश अ०सा०४ जोकि अभियोजन मामले में प्रत्यक्ष साक्षी के रूप में उल्लिखित है, ने दुर्घटना आरोपी द्वारा बस चलाये जाने से कारित होने से इंकार किया है। अतः उक्त तीनों साक्षीगण ने भी अभियोजन मामले का समर्थन नहीं किया है। अभियोजन का मामला प्रत्यक्ष साक्ष्य पर निर्भर है परन्तू इसी प्रत्यक्ष साक्षी द्वारा आरोपी द्वारा वाहन चलाये जाने का कथन नहीं किया है जिसके परिणामस्वरूप अभियोजन का मामला सिद्ध नहीं होता है।
- 12. अतः अभियोजन साक्ष्य की विवेचना से यह सिद्ध नहीं होता है कि आरोपी ने दिनांक 07.08.10 को 7:30 बजे या उसके लगभग रमगढा भुमियां के पास मौजा चंदोखर अंतर्गत थाना एण्डोरी लोकमार्ग पर वाहन बस क्रमांक एम0पी0-07-पी0-1161 को उतावलेपन या उपेक्षापूर्वक चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित किया तथा वाहन को उतावलेपन या उपेक्षापूर्वक चलाकर खंती में पलट देने से उसमें बैठी सवारियां हाकिम, श्रीकृष्ण अ0सा01, कीरती अ0सा06, मीनाबाई अ0सा05 अनिल, अंकुश को उपहित कारित हुई तथा वाहन को उतावलेपन या उपेक्षापूर्वक चलाकर खंती में पलट देने से उसमें बैठे सियाराम को घोर उपहित कारित हुई तथा यह जानते हुए कि दुर्घटना में सियाराम, हािकम, श्रीकृष्ण अ0सा01, कीरती अ0सा06, मीनाबाई अ0सा05, अनिल, अंकुश, को चोटें आई हैं, अपने दाियत्वों के विपरीत आरोपी ने उचित चिकित्सा व्यवस्था उपलब्ध कराये जाने का लोप किया तथा मतता की हालत में मोटरयान को संचाितत किया।

13. परिणामतः आरोपी को धारा 279, 337(छः बार) एवं 338 भा.द.स. एवं धारा 134 / 187 एवं 185 मोटरयान अधिनियम के आरोप से दोषमुक्त घोषित किया जाता है।

14. आरोपी के जमानत व मुचलके भारमुक्त किए जाते हैं।

15. प्रकरण में जप्तशुदा बस कमांक एम0पी0—07—पी.1161 पूर्व से आवेदक की सुपुर्दगी में है। अतः सुपुर्दगीनामा अपील अवधि पश्चात उन्मोचित समझा जाये और अपील होने की दशा में अपील न्यायालय के आदेश का पालन किया जाये।

दिनांक :-

सही / –
(गोपेश गर्ग)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी गोहद जिला भिण्ड म0प्र0

